भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

RBA No. 46 /2021

No. 2020/AC-II/2/5

New Delhi, dated 16.08.2021

General Managers/PFAs,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: **ACS No. 152** of Indian Railway Finance Code Vol. II- Change in nomenclature of existing Plan Head-53 as 'Customer Amenities'.

~~~~~~~~

In order to bring the works pertaining to creation/upgradation of freight amenities also under the scope of Plan Head - 5300 for better comprehension and coverage of both Passenger and Freight customer amenities works under one Plan Head, it has been decided to rename the existing Plan Head 5300 " Passengers & Other Users' Amenities" as " Customer Amenities" .

Accordingly, **Advance Correction Slip No. 152 renaming PH 5300** is enclosed.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above.

**(Sanjeev Sharma)**
**OSD/Accounts**
**Railway Board**

**Copy to:**

1. Dy. C&AG (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
2. EDPM, EDFM, EDF(B)
3. AC-I (Comp), AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
~~~~~~~~

Advance Correction Slip No. 152

Indian Railway Finance Code Vol.II (Reprint Edition 2008)

Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II)

Please rename the existing Plan Head-53 " Passenger and other Railway user amenities" as " Customer Amenities"

MINOR HEAD	SUBHEAD	DETAILED HEAD
5300 Customer Amenities	Same subhead and detailed head classification as under 1100 with the codified digits for Plan Head 53 being substituted for 11.	

(Authority : Board's letter no. 2021/ACII/2/5 dated : 16 .08.2021)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 46/2021

सं. 2020/एसी-II/2/5 नई दिल्ली, दिनांक 16.08.2021

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II का अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 152 - 'ग्राहक सुविधाएं' के रूप में मौजूदा योजना शीर्ष-53 के नाम में परिवर्तन।

एक योजना शीर्ष के अंतर्गत यात्री तथा माल ग्राहक सुविधाओं दोनों की बेहतर अवधारणा और कवरेज के लिए मालभाड़ा सुविधाओं के सृजन/उन्नयन से संबंधित कार्यों को योजना शीर्ष-5300 के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से मौजूदा योजना शीर्ष 5300 "यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ता' सुविधाओं" के नाम को "ग्राहक सुविधाएं" के रूप में परिवर्तित किया जाए।

तदनुसार, अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 152 पुन:नामकरण योजना शीर्ष 5300 संलग्न है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषयवस्तु को उचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक:यथोक्त

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन, कार्यपालक निदेशक वित्त प्रबंधन, कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट)
3. लेखा-I (संकलन), लेखा-III (6 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 152

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (पुन:मुद्रित संस्करण 2008)

पूंजी और अन्य निर्माण-कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट -II)

कृपया मौजूदा योजना शीर्ष-53 "यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ता सुविधाएं" का नाम परिवर्तित करके "ग्राहक सुविधाएं" किया जाए।

लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	ब्यौरेवार शीर्ष
5300 ग्राहक सुविधाएं	योजना शीर्ष 53 के लिए संहिताबद्ध अंकों सहित 1100 के अंतर्गत उसी उप-शीर्ष और ब्यौरेवार शीर्ष वर्गीकरण को 11 के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 16.08.2021 का पत्र सं. 2021/एसी।।/2/5)
